न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालियर म0प्र0

PBR/निगरानी/धार/भू.रा/2018/1538

छोटूराम उर्फ यशवंतराव पिता भतेन्दूराव

निवासी–खेड़ापति रोड़ बस स्टेण्ड

धार जिला धार म0प्र0 ....**निगरानीकर्ता**

विरूद्ध

म0प्र0शासन द्वारा कलेक्टर महोदय,

धार जिला धार ....**विपक्षी**

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0 मुजब

मान्यवर महोदय,

सेवा में, निगरानीकर्ता की ओर से अत्यन्त विनम्रतापूर्वक निवेदन है कि ग्राम मालीवाड़ा तह.व जिला धार में स्थित शासकीय नजुल भूमि सर्वे नं. 870 पैकी क्षेत्रफल 10 बाय 28 कुल 280 वर्गफीट भूमि (ब्लाक–5) बस स्टेण्ड क्षेत्र तह. व जिला धार की भूमि निगरानीकर्ता को 30 वर्ष की अवधि हेतु याने दिनांक 25/05/1984 से 31/03/2014 तक कलेक्टर धार द्वारा लीज पर प्रदान की थी जो विधिक रूप से उपपंजीयक महोदय धार द्वारा पंजीकृत था। तत्पश्चात पट्टे अनुसार निगरानीकर्ता द्वारा विधिक अनुमतियां प्राप्त करने के पश्चात उक्त भूमि पर निर्माण किया था । निगरानीकर्ता द्वारा कभी भी कोई लीज की शर्तो का उल्लंघन नहीं किया हमेशा लीज की शर्तो का पालन किया है निगरानीकर्ता अत्यन्त वृद्ध व्यक्ति है 88 तर्ष की आयु का है । इस कारण से वह वर्ष 2014 में लीज रिन्यू करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत नही कर सका परन्तु प्रस्तुत करने हेतु हमेशा तत्पर व तैयार रहा हैं आज भी तत्पर व तैयार है जो भी लीज प्रीमियम का निर्धारण रहेगा उसे भरने हेतु आज भी तत्पर व तैयार रहा है । तत्पश्चात कलेक्टर महोदय, धार द्वारा प्रकरण कमांक 5/2014–15/अ–20(1) में दिनांक 29/12/2015 को बिना प्रतिपरीक्षण का मौका दिये, बिना साक्ष्य से पंचनामे को साबित किये, असत्य प्रतिवेदन आयुक्त महोदय इन्दौर संभाग इन्दौर को प्रेषित किया जो विधिक नही था व उक्त

निरन्तर.........2

प्रतिवेदन के आधार पर बिना मुझे सुनवाई का अवसर दिये, बिना मुझे गवाह , का अवसर दिये, बिना मुझे प्रतिपरीक्षण का मौका दिये आयुक्त महोदय, इन्दौर संभाग इन्दौर द्वारा अपने प्रकरण कमांक 2/विविध/2015 में दिनांक 30/09/2016 को अवैध और विचाराधिकार नियमों के विरूद्ध, व पट्टे की शर्त के विरूद्ध जाकर आदेश पारित करते हुए बेदखली का आदेश पारित कर दिया जो विधिक मही है । उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर यह वर्तमान निगरानी माननीय न्यायालय के समक्ष निम्न आधारों पर सादर सद्भावनापूर्वक प्रस्तुत है :-

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक PBR/निगरानी/धार/भू.रा./2018/1538

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13-3-2018	आवेदक की ओर से श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी, अभिभाषक उपस्थित । उन्हें ग्राह्यता पर सुना गया । यह निगरानी आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर के आदेश दिनांक 30-9-2016 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । सम्बन्धित आदेश राजस्व पुस्तक परिपत्र के अन्तर्गत पारित हुआ है । आवेदक द्वारा स्वयं निगरानी के साथ जो अभिलेख प्रस्तुत किए गए है, उनके अवलोकन से स्पष्ट है कि आयुक्त, इंदौर संभाग के इसी आदेश दिनांक 30-9-2016 के विरूद्ध आवेदक द्वारा राजस्व पुस्तक परिपत्र के अनुरूप शासन को अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया था । शासन द्वारा दिनांक 6-1-2018 को अभयावेदन का अन्तिम निराकरण किया जा चुका है । अत: आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत निगरानी पर विचार करने का कोई औचित्य नहीं होने से अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	